भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

PUN.CAB.APTP.No.S703 /09-06-002/2025-2026 11 सितंबर, 2025

प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनुसूचित विनिज्यिक बैंक (RRB और SFB सहित)
ग्रामीण सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

**किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के वित्तपोषण पर कार्यशाला**
**27 से 28 अक्तूबर, 2025**

भारतीय रिजर्व बैंक, CAB, पुणे 27 से 28 अक्टूबर 2025 के दौरान CAB, पुणे के परिसर में "किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के वित्तपोषण पर एक कार्यशाला" आयोजित कर रहा है।

**2. कार्यक्रम के उद्देश्य:** कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित है-

- प्रतिभागियों की एफपीओ और उनके वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की समझ को बढ़ाना
- एफ़पीओ क्रेडिट प्रस्तावों के मूल्यांकन और जोखिम मूल्यांकन में क्षमता बनाना
- प्रतिभागियों की क्षेत्रीय चुनौतियों, अभिनव वित्तपोषण समाधान और FPO स्थिरता के लिए समर्थन तंत्रों के बारे में समझ बढ़ाना

**3. स्थान और आवास**

कार्यक्रम आवासीय है। ठहरने और खाने की व्यवस्था सीएबी परिसर में की जाएगी। प्रतिभागी 26 अक्तूबर, 2025 की संध्या को सीएबी मे रिपोर्ट कर सकते हैं और कार्यक्रम के समापन के दिन पर प्रस्थान कर सकते हैं। ओवरस्टे और अतिथि के साथ आने की अनुमति नहीं है।

**4. पाठ्यक्रम सामग्री:** कार्यक्रम की व्यापक पाठ्यक्रम सामग्री अनुबंध I में दी गई है।

**5.** हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए आप अपने संस्थान के कृषि वित्त से संबंधित उपयुक्त अधिकारियों को नामित करें। नामांकन **17 अक्तूबर, 2025** को या उससे पहले nomination.ami@rbi.org.in पर

भेजे जा सकते हैं। भागीदारी शुल्क का विवरण अनुबंध II में दिया गया है । **कृपया ध्यान दें कि नामांकन First Come First Served Basis (FCFS) के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे क्योंकि सीटें सीमित हैं।**

**6.** नामांकन संबंधी पूछताछ के लिए, आप नामांकन डेस्क (श्री प्रथमेश पाटील- टेलीफोन नंबर 020 2558 2396/ श्रीमती साधवी भाटिया 9834023900) से संपर्क कर सकते हैं या ई-मेल के माध्यम से **nomination.ami@rbi.org.in** पर संपर्क कर सकते हैं।

| **महत्वपूर्ण तिथियां** | |
|---|---|
| **कार्यक्रम तिथियां** | 27 से 28 अक्तूबर, 2025 |
| **नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि** | 17 अक्तूबर, 2025 |
| **CAB में रिपोर्टिंग** | 26 अक्तूबर, 2025 शाम को |
| **कार्यक्रम का समापन** | 28 अक्तूबर, 2025 को शाम 05.30 बजे |

सादर

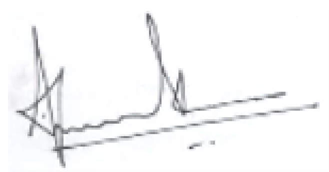

(सचिन कांबले)
उप महाप्रबंधक एवं संकाय सदस्य
कार्यक्रम निदेशक
Contact: 020-25582314
Email ID- sachinkamble@rbi.org.in

Encl.: As above

**अनुबंध I**

# Broad Course Contents

## Module 1: Understanding FPOs and the Financing Ecosystem

- *Concept & Evolution:* Legal forms (Producer Companies, Cooperatives, etc.), role in collectivising smallholders and value chains
- *Policy & Regulatory Framework:* Government support (NABARD, SFAC, MoA&FW), RBI/NABARD guidelines, schemes, multilateral/bilateral agencies
- *Financing Needs:* Working capital vs. term loans, infrastructure financing, credit–equity–grant mix

## Module 2: Credit Appraisal and Risk Assessment of FPOs

- *Business Model Analysis*: Revenue streams (aggregation, processing, marketing), cost structures, break-even
- *Financial Viability (with case study):* NPV, IRR, DSCR, Payback, sensitivity to price/yield changes
- *Lendability & Risk Assessment:* Member participation, governance and management evaluation, operational/financial/market risks, mitigation and credit guarantees

## Module 3: Innovative Financing Solutions for FPO Sustainability

- *Sector-Specific Issues:* Crop, horticulture, animal husbandry FPOs; financing opportunities (case studies)
- *Financial Instruments:* NABSanrakshan, CGTMSE, concessional finance, equity support
- *Value Chain Financing:* Contract farming, tripartite arrangements, anchor-led models (case studies)
- *Digital & Fintech Solutions:* Digital lending, data analytics, alternative credit scoring
- *Impact & ESG Finance:* CSR, social venture capital, climate finance, carbon credits

  *Group Interaction & Experience Sharing*

**अनुबंध II**

# किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के वित्तपोषण पर कार्यशाला (27 से 28 अक्तूबर, 2025)

**Fee Structure**

| Group | | Fees per participant | 18% GST | Total fees to be paid per participant (including GST) |
|---|---|---|---|---|
| Commercial Banks and Financial Institutions | Residential | 12,100 | 2,178 | **14,278** |
| | Non-residential | 8,000 | 1,440 | **9,440** |
| Scheduled UCBs, Non-Scheduled UCBs with deposit base of more than Rs.100 crore, RRBs, Local Area Banks, State Cooperative Banks and NBFCs | Residential | 9,100 | 1,638 | **10,738** |
| | Non-residential | 6,000 | 1,080 | **7,080** |
| Non-Scheduled UCBs with deposit base of less than Rs.100 crore, Small Finance Banks, Payment Banks, Government Departments, DCCBs, NGOs, State Level FIs, Non-NBFC MFIs and Certified Credit Counsellors | Residential | 6,100 | 1,098 | **7,198** |
| | Non-residential | 4,000 | 720 | **4,720** |

**Please use the programme code AMI-27102025 in Sender to Receiver Information while remitting the fee through NEFT.**

**PLEASE DON'T REMIT THE PAYMENT THROUGH RTGS. PLEASE MAKE THE PAYMENT BY NEFT ONLY.**

**In terms of section 48 of RBI Act 1934, RBI is exempted from payment of Income Tax or Super Tax on any of its Income, Profits or Gains. Nominating institutions should therefore not deduct TDS on the Programme Fees.**

*भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1969 में ग्रामीण और सहकारी बैंकिंग में प्रशिक्षण इनपुट प्रदान करने के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) की स्थापना की गई। इसके बाद, भारतीय वित्तीय क्षेत्र की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखे हुए, महाविद्यालय द्वारा कृषि बैंकिंग, एमएसएमई वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और साक्षरता, मानव संसाधन और नेतृत्व आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया गया। अकादमिक वर्ष 2021 से महाविद्यालय द्वारा चार फोकस एरिया (4C) यथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और अनुपालन प्रबंधन की पहचान की गई हैं ताकि वित्तीय प्रणाली में मजबूती प्रदान करने और सेवा मानकों में वृद्धि करने के लिए बैंकरों तथा फाइनेंशियल प्रोफेशनलों की क्षमता निर्माण की जा सके। महाविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रमों और अनुसंधान सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। इसी के साथ, महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार कस्टमाइज प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।*

*वर्ष 2015 से एमएसएमई वित्तपोषण के क्षेत्र में विशेषीकृत नैमकैब कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए नोडल संस्थान के रूप में नामित किए जाने के साथ ही वर्ष 2021 में मिशन 'अवतु' के अंतर्गत साइबर सुरक्षा पर शहरी सहकारी बैंकों के विभिन्न स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महाविद्यालय को 'नोडल संस्थान' के रूप में नामित किया गया।*